



202301035008802

डेवलपर एग्रीमेंट

सिग्नेचर ट्रेडकाम एल0एल0पी0, (जो सिग्नेचर ट्रेडकाम प्रा0 लि0 से परिवर्तित है) रजिस्टर्ड कार्यालय डी-59/235 एन, निराला नगर, शिवपुरवा, वाराणसी बजरिये नामित पार्टनर (1) गौतम चड्ढा पुत्र राधवेन्द्र चड्ढा निवासी मकान नम्बर डी-58/12-37, गॉधी नगर, सिगरा, जिला वाराणसी, पैन नम्बर AMMPC7042M मोबाइल नम्बर 7311111105 (2) राकेश कुमार वर्मा पुत्र स्व0 भैरव नाथ वर्मा उर्फ भैरव प्रसाद निवासी मकान नम्बर डी-59/71ए, अन्नपूर्णा, महमूरगंज, स्थयात्रा रोड, वाराणसी, पैन नम्बर AAUPV3232F मोबाइल नम्बर 9454717393

.....प्रथमपक्षगण/भू-स्वामी।

व

मेसर्स श्रीकंठ इन्फ्रा स्थित शिवकरन अपार्टमेन्ट, वैष्णो नगर, कंचनपुर, चितईपुर, जिला वाराणसी बजरिये पार्टनर अजय कुमार पुत्र स्व0 लाल किशोर सिंह निवासी 161 मनी नगर, एक्सटेन्सन, चितईपुर, जिला वाराणसी, पेशा- व्यापार, पैन नम्बर AGTPK2172Q मोबाइल नम्बर- 9336918285

.....द्वितीय पक्ष/डेवलपर

Signature Tradecom LLP

Partner



Signature SHRIKANTH INFRA LLP

Partner





SHRIKANTH INFRA
Partner





विदित हो कि आराजी नं० 132 रकबा 0.03375 हे० व आराजी नम्बर 133 रकबा 0.13875 हे० व आराजी नम्बर 134 रकबा 0.0165 हे० व आराजी नम्बर 157 रकबा 0.310 हे० व आराजी नम्बर 138 रकबा 0.004 हे० कुल पांच गाटा कुल रकबा 0.5030 हेक्टेयर स्थित मौजा धनपालपुर, परगना कसवार सरकारी, तहसील राजातालाब, जिला वाराणसी के मालिक श्री चन्द्रेश राय पुत्र स्व० सुरेन्द्र राय व श्रीमती डिम्पल राय पत्नी चन्द्रेश राय निवासीगण ए-10, न्यू नगर निगम कालोनी, पिशाचमोचन, लहुराबीर, शहर वाराणसी ने उक्त सम्पत्ति का पंजीकृत बैनामा तहरीर दिनांक 12.09.2011 ई० को प्रथमपक्ष के हक में कर दिया, जिसका पंजीयन सब रजिस्ट्रार गंगापुर वाराणसी के कार्यालय में बही नम्बर 1, जिल्द नम्बर 2012, पृष्ठ संख्या 379 से 414, दस्तावेज नम्बर 2887 दिनांक 12.09.2011 ई० पर पंजीकृत है। उक्त बैनामे के आधार पर प्रथमपक्ष का नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर संक्रमणीय भूमिधूर के दर्ज चला आ रहा है, जिस पर प्रथमपक्ष बहैसियत मालिक काबिज दखील रहकर हरफेल मालिकाना अमल में लाते चले आ रहे है, जिसमें कोई अन्य व्यक्ति शरीक सहीम ख्वाह व हिस्सेदार नहीं है, न तो निम्नवर्णित सम्पत्ति कहीं रेहन, बय की गई है और न तो किसी के हक में सट्टा तहरीर किया गया है, बल्कि निम्नवर्णित सम्पत्ति हर तरह के सदमा कुर्की, नीलामी, जमानत बयदारी, वारदेन व मुकदमेंबाजी से बिल्कुल पाक साफ है। हम प्रथमपक्ष उपरोक्त सम्पत्ति पर बतौर मालिक काबिज दखील रहकर हर तरह से उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। प्रथमपक्ष की दिली ख्वाहिश है कि वह उपरोक्त सम्पत्ति में से बरकबा 200 वर्गमीटर पर बहुमंजिली आवासीय इमारत का निर्माण करे, किन्तु हम प्रथमपक्ष के पास उपरोक्त सम्पत्ति पर निर्माण कराने हेतु पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है, अलावा इसके इमारत के निर्माण का कोई अनुभव हम प्रथमपक्ष के पास नहीं है। इसलिए हम प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष, जिनका एकल रूप से या अन्य बिल्डरों के साथ मिलकर ठेका व डेवलपर अनुबन्ध के आधार पर आवासीय एवं व्यवसायिक भवन निर्माण का कार्य करना व खरीद फरोख्त करना आदि से है। प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से अनुरोध किया कि प्रथमपक्ष की

Signature Tradecom LLP Signature Tradecom LLP


Partner



Partner


SHRIKANTH INFRA

Partner


आवेदन सं०: 202301035008802

विक्रय अनुबंध विलेख (विल्डर)

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6438

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 280000 बाजारी मूल्य - 4000000 पंजीकरण शुल्क - 40000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 40100

श्री सिग्नेचर ट्रेडकाम एल0एल0पी0, (जो सिग्नेचर ट्रेडकाम प्रा0 लि0 से परिवर्तित है) द्वारा
 गौतम चड्ढा अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
 पुत्र श्री राधवेन्द्र चड्ढा
 व्यवसाय : व्यापार
 निवासी: मकान नम्बर डी-58/12-37, गाँधी नगर, सिगरा, जिला वाराणसी,



श्री, सिग्नेचर ट्रेडकाम एल0एल0पी0, (जो सिग्नेचर ट्रेडकाम प्रा0 लि0 से परिवर्तित है) द्वारा गौतम चड्ढा अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि
 ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 15/07/2023 एवं 01:08:44 PM बजे
 निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विजयदेव .
 उप निबंधक :गंगापुर
 वाराणसी
 15/07/2023
 जयप्रकाश मिश्र .
 निबंधक लिपिक
 15/07/2023



प्रिंट करें

Signature Tabcom LLP


Partner

खुली/अनिर्मित जमीन पर वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर नक्शे के अनुरूप आवासीय भवन का निर्माण करावे एवं बदले में निर्मित/अनिर्मित आवासीय क्षेत्रों में अपने 57 प्रतिशत हिस्से के भाग या तो रख लें या अपने नामिनी या किसी अन्य के हक में अपने हिस्से का बैनामा, सट्टा, किरायेदारी, लीज आदि करें, इसमें प्रथमपक्ष को कोई उज्र व एतराज नहीं होगा। द्वितीयपक्ष ने अपनी सहमति प्रदान करते हुए प्रथमपक्ष के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। पक्षगण ने उचित व मुनासिब समझा कि उक्त सम्पत्ति के बाबत डेवलपर एग्रीमेण्ट निष्पादित कर दिया जाय, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद पक्षगण के बीच उत्पन्न न हो। द्वितीयपक्ष जो कि भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य करने में पारंगत है और उसे भवन/बहुमंजिला निर्माण आदि का विशेष अनुभव प्राप्त है तथा उक्त योजना को शुरू करने के लिए उसके पास पर्याप्त पूँजी भी है, से प्रथमपक्ष ने उक्त योजना को मूर्त रूप देने और उसे क्रियान्वित करने के बाबत सम्पर्क स्थापित किया।

अतः पक्षगण ने स्वस्थ मन चित्त एवं शरीर तथा स्वस्थ बुद्धि एवं प्रसन्नतापूर्वक बिना किसी दबाव नाजायज के यह डेवलपर एग्रीमेण्ट तहरीर कर अपने-अपने व अपने-अपने वारिसान व कायम मुकामान को निम्नलिखित शर्तों से आबद्ध करते हैं:-

01. यह कि प्रथमपक्ष ने निम्नवर्णित सम्पत्ति जिसका विवरण इस लेखपत्र के अंत में दिया गया है, पर भवन निर्माण करने की अनुमति देते हुए, द्वितीयपक्ष के हक में रजिस्टर्ड डेवलपर एग्रीमेण्ट आज निष्पादित कर रहे हैं।
02. यह कि द्वितीयपक्ष, प्रथमपक्ष की सम्पत्ति पर अपने स्वयं के खर्चे से बहुमंजिली आवासीय भवन का निर्माण करवायेगा। उक्त निर्माण में लगने वाला समस्त खर्च द्वितीयपक्ष स्वयं वहन करेगा। उक्त खर्चे से प्रथमपक्ष का कोई वास्ता सरोकार नहीं होगा।
03. यह कि द्वितीयपक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी से मानचित्र स्वीकृत कराने व नगर निगम, जल संस्थान व विद्युत विभाग एवं अन्य विभागों से सम्पूर्ण कार्यवाही अपने स्वयं के

Signature Tradecom LLP



Partner



Signature Tradecom LLP



Partner



SHRIKANTH INFRA
Ajay Kumar
Partner



7/15/23, 1:11 PM

आवेदन सं०: 202301035008802

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6438

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री सिग्नेचर ट्रेडकाम एल0एल0पी0, (जो सिग्नेचर ट्रेडकाम प्रा0 लि0 से परिवर्तित है) के द्वारा गौतम चड्ढा, पुत्र श्री राधवेन्द्र चड्ढा

निवासी: मकान नम्बर डी-58/12-37, गॉधी नगर, सिगरा, जिला वाराणसी,

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 2

श्री सिग्नेचर ट्रेडकाम एल0एल0पी0, (जो सिग्नेचर ट्रेडकाम प्रा0 लि0 से परिवर्तित है) के द्वारा राकेश कुमार वर्मा, पुत्र श्री स्व0 भैरव नाथ-वर्मा उर्फ भैरव प्रसाद

निवासी: मकान नम्बर डी-59/71ए, अन्नपूर्णा, महमूरगंज, रथयात्रा रोड, वाराणसी

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 1

श्री मैसर्स श्रीकंठ इन्फ्रा स्थित शिवकरन अपार्टमेन्ट के द्वारा अजय कुमार, पुत्र श्री स्व0 लाल किशोर सिंह

निवासी: 161 मती नगर, एक्सटेन्सन, चितईपुर, जिला वाराणसी

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1

श्री महेश कुमार, पुत्र श्री विश्वनाथ कुमार

निवासी: 9/12, लाल बाजार, स्ट्रीट पहली मंजिल, कोलकाता-700001

व्यवसाय: व्यापार





खर्च से निष्पादित करेगा। मानचित्र स्वीकृत कराने में जो भी खर्च लगेगा, उससे प्रथमपक्ष का कोई वास्ता सरोकार नहीं होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी द्वितीयपक्ष की होगी तथा प्रथमपक्ष केवल आवश्यक कानूनी कार्यवाही में सहयोग करेगा।

04. यह कि निर्माण कार्य में लगने वाले समस्त खर्च द्वितीयपक्ष स्वयं वहन करेगा व भवन निर्माण करने में समस्त सुविधा कार्य करने वाले व्यक्तियों को द्वितीयपक्ष उपलब्ध करायेगा। भवन निर्माण के मरम्मत, मजदूरी व निर्माण सामग्री वगैरह से प्रथमपक्ष से कोई वास्ता सरोकार नहीं होगा।
05. यह कि भूतल जो पार्किंग होगा और उसका उपयोग पक्षगण उनके नामिनी व उनके द्वारा नामित व्यक्ति संयुक्त रूप से अपने-अपने अंशों के अनुरूप करेंगे। यदि भविष्य में कार पार्किंग के सम्पूर्ण भाग या जुज भाग का कार पार्किंग के अतिरिक्त कोई अन्य उपयोग होता है तो वह गलत होगा। पार्किंग एवं छत (क्रमशः 43 प्रतिशत एवं 57 प्रतिशत) के अनुपात में होगी। इससे किसी पक्ष को कोई उज्र न है न भविष्य में होगा।
06. यह कि सम्पूर्ण भवन फ्लैटों में जलापूर्ति के लिए एक वृहद् सामूहिक टैंक का निर्माण द्वितीयपक्ष स्वयं अपने खर्च से करायेगा, प्रत्येक फ्लैट का कनेक्शन अलग-अलग होगा।
07. यह कि पक्षगण अपने-अपने अंशों का प्रयोग स्वयं करे अथवा अपने-अपने नामिनियों को मिले अंशो पर काबिज दखील कराये, उससे किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी तथा दोनों पक्ष को अपने-अपने अंश की रजिस्टरी करने का पूरा-पूरा अधिकार स्वयं होगा, इसमें किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।
08. यह कि पक्षगण या उसके नामिनी निर्मित भवन के कामन पैसेज, गैलरी या सीढ़ी या भवन में आने-जाने के रास्ते का प्रयोग संयुक्त रूप से करेंगे तथा पक्षगण कामन सुविधाओं में किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करेंगे।

Signature Tradecom LLP Signature Tradecom LLP


Partner


Partner

SHRIKANTH INFRA

Partner




पहचानकर्ता : 2

श्री मुकेश कुमार सिंह, पुत्र श्री स्व० ब्रज किशोर सिंह

निवासी: हितकहियाँ, झिकलाही उर्फ माधो, छपरा मीनापुर,
मुजफ्फरपुर, बिहार

व्यवसाय: अन्य



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार
लिए गए है।
टिप्पणी :

विजय देव .
उप निबंधक : गंगापुर
वाराणसी
15/07/2023

जयप्रकाश मिश्र .
निबंधक लिपिक वाराणसी
15/07/2023

प्रिंट करें




09. यह कि द्वितीयपक्ष निर्माण में प्रथमपक्ष के फ्लैटों में चूना रंग, वायरिंग, फर्श, सीवर लाईन, खिड़की, दरवाजा एवं सम्पूर्ण फिनिशिंग के साथ कराकर प्रथमपक्ष को सुपुर्द करेगा।
10. यह कि वाराणसी विकास प्राधिकरण के द्वारा मानचित्र स्वीकृत होने के पश्चात् 60 माह में द्वितीयपक्ष सम्पूर्ण निर्माण करा लेगा, लेकिन विशेष परिस्थिति में द्वितीयपक्ष को छः माह ग्रेस पीरीयड भी दिया जायेगा। दैवीय आपदा व स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि होने पर उक्त अवधि व उसके दुरुस्तीकरण तक की अवधि, निर्धारित अवधि में शामिल नहीं होगी। यदि द्वितीयपक्ष निर्धारित अवधि तक निर्माण नहीं करा पाता है तो रियल स्टेट रेगुलेशन एक्ट-2016 के तहत द्वितीयपक्ष जुर्माना अदा करने के लिए बाध्य होगा।
11. यह कि यदि डेवलपर पंजीकरण के एक वर्ष के अन्दर नक्शा पास नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से प्रस्तुत एग्रीमेण्ट से दोनों पक्ष मुक्त हो जावेगे।
12. यह कि निर्माण कार्य के दौरान किसी आकस्मिक घटना के तहत द्वितीयपक्ष की मृत्यु हो जाय या द्वितीयपक्ष पागल हो जाय या किसी बीमारी के कारण कार्य करने में असमर्थ हो जाय, उस दशा में द्वितीयपक्ष के वारिसान को हक होगा कि वह अधूरे निर्माण कार्य को स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के मार्फत मौजूदा विलेख के अनुसार कार्य पूरा कराकर निर्धारित अनुक्रमां के अंशों के तहत हिस्सा प्राप्त करे। यदि उपरोक्त परिस्थितियां प्रथमपक्ष के यहां उत्पन्न हो जाय तो ऐसी स्थिति में प्रथमपक्ष के वारिसान को विलेख के शर्तों के अनुसार 43 प्रतिशत हिस्सा पाने के अधिकारी होंगे।
13. यह कि द्वितीयपक्ष द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने के दौरान प्रथमपक्ष के तरफ से अन्य दावेदार किसी प्रकार की कानूनी अड़चन पैदा करते हैं, जिस कारण द्वितीयपक्ष द्वारा निर्माण कार्य पूरा करना सम्भव न हो सके अथवा उस समय काबिज हकदारों का किसी प्रकार की असुविधा हो या उनका हक निकल जावे तो उस सूरत में प्रथमपक्ष की जिम्मेदारी होगी कि उत्पन्न

Signature Tradecom LLP






Signature Tradecom LLP
Partner





SHRIKANTH INFRA
Partner





विवादित मामले को अपनी ओर से या तो रूपया देकर या सुलह समझौता कर विवाद का निस्तारण करे अथवा उस वक्त के काबिज होने वाले हकदारों को क्षतिपूर्ति 2 प्रतिशत माहवार के हिसाब से मय ब्याज के साथ अदा करें, इससे द्वितीयपक्ष का कोई वास्ता सरोकार नहीं होगा।


14. यह कि द्वितीयपक्ष द्वारा निर्माण कार्य कराने जाने के मध्य यदि प्रथमपक्ष या प्रथमपक्ष के वारिसान कोई ऐसी अड़चन पैदा कर देते हैं जिससे द्वितीयपक्ष द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य में अवरोध, रूकावट उत्पन्न होता है अथवा निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होता है और द्वितीयपक्ष को अपूर्णनीय क्षति होती है तो प्रथमपक्ष कानूनी विवाद में पड़े बिना आपसी सहमति या लेन-देन कर उस विवाद को सुल समझौता कर सर्वप्रथम निपटारा करेंगे, अन्यथा द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि वह उत्पन्न विवाद को मध्यस्थों के समक्ष रखकर सुलह समझौता कर ले, तथा उस पर जो खर्च प्रथमपक्ष के हिस्से में आये, उसे प्रथमपक्ष के हिस्से में से द्वितीयपक्ष मोजरा कर लेवे। इसमें प्रथमपक्ष को न कोई आपत्ति है और न आइन्दा होगी।
15. यह कि द्वितीयपक्ष को निर्माण कार्य पूरा करने के लिए मजदूर, इंजीनीयर, विशेष सह-ठीकेदार नियुक्त करके निर्माण कार्य कराने का पूर्ण अधिकार होगा।
16. यह कि समस्त निर्मित भाग का 43 प्रतिशत अंश मय भूमि मय कामन सुविधा को पाने के अधिकारी प्रथम पक्ष होंगे, जिसे वे अपनी इच्छानुसार विक्रय करने, बन्धक रखने, विक्रय अनुबन्ध पत्र निष्पादित करने या किराये पर देने आदि के लिए स्वतंत्र रूप से अधिकारी है व रहेगें और इस भाग का समस्त विक्रय मूल्य या एडवान्स या किराया आदि जो भी प्राप्त होगा उसे प्रथम पक्ष प्राप्त करेंगे और आवश्यक प्रलेख प्रथमपक्ष स्वतंत्र रूप से अपने 43 प्रतिशत के बाबत अपने अन्तरीति के हक में अपने हस्ताक्षर से निष्पादित करने के लिए स्वतंत्र रहेगें, जिसके लिए द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को अधिकृत करते हैं।

Signature Tradecom LLP


Partner



Signature Tradecom LLP


Partner



SHRIKANTH INFRA


Partner



17. यह कि समस्त निर्मित भाग का 57 प्रतिशत अंश मय भूमि मय कामन सुविधा आदि प्राप्त करने के अधिकारी द्वितीय पक्ष होंगे और द्वितीय पक्ष अपने 57 प्रतिशत अंश निर्मित भाग मय भूमि मय कामन सुविधा आदि को अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से विक्रय करने, बन्धक रखने, विक्रय अनुबन्ध करने, अग्रिम धनराशि प्राप्त करने, किराये पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरण करने के लिए स्वतंत्र रूप से अधिकारी है व रहेंगे और इस सम्बन्ध में जो भी विक्रय मूल्य, एडवॉन्स व किराया आदि प्राप्त होगा, उसे द्वितीय पक्ष प्राप्त करेंगे और आवश्यक प्रलेख द्वितीय पक्ष स्वतंत्र रूप से अपने 57 प्रतिशत के बाबत अपने अन्तरीति के हक में अपने हस्ताक्षर से निष्पादित करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे, जिसके लिए प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को अधिकृत करते हैं, इसमें प्रथमपक्ष व वारिसान व कायम मुकामान को न कोई आपत्ति है और न आइन्दा होगी।
18. यह कि प्रथमपक्ष ने सभी सम्बन्धित विभागों से जहाँ-जहाँ से अनुमति आवश्यकता हो, उसे प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र व शपथपत्र आदि पर हस्ताक्षर बनाने के लिए विकासकर्ता/द्वितीयपक्ष को अधिकृत कर दिया है, जिससे प्रस्तावित निर्माण में गतिरोध न उत्पन्न हो सके।
19. यह कि भू-स्वामी प्रथम पक्ष विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को अधिकार देता है कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष अपने 57 प्रतिशत अंश को बैंक या वित्तीय संस्था के यहां बन्धक रखकर आवश्यक पैसा प्राप्त कर बिल्डिंग निर्माण कार्य में लगावे व भू-स्वामी इस सम्बन्ध में अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र भी यदि आवश्यकता पड़े तो बैंक व सक्षम अधिकारी के यहां प्रस्तुत करेंगे परन्तु जो भी ऋण द्वितीय पक्ष बैंक या वित्तीय संस्था से प्राप्त करेंगे उसे अदा करने की पूरी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। उससे प्रथमपक्ष/भूस्वामी का कोई वास्ता सरोकार नहीं होगा।
20. यह कि भू-स्वामी/प्रथम पक्ष, विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष को इस अनुबन्ध पत्र में दिये गये शर्तों के तहत निर्माण कार्य हो सके इसलिए इस अधिकार पत्र द्वारा विकासकर्ता/द्वितीयपक्ष को

Signature Tradecom LLP Signature Tradecom LLP



Partner



Partner

SHRIKANTH INFRA



Partner



अधिकृत करते हैं कि वह भू-स्वामी की जगह इस अनुबन्ध पत्र के तहत कार्य करने के लिए जहां-जहां आवश्यकता हो वहां-वहां अपना हस्ताक्षर करें व उसी अनुसार निर्माण व विकास के कार्य को करें।

21. यह कि अनुबन्ध विलेख में पक्षगणों के बीच सम्पूर्ण अधिकार मालिकान के रूप में तहरीर हो रहा है, जिसके अनुसार द्वितीयपक्ष निर्मित होने वाले भवन में 57 प्रतिशत हिस्से को सम्पूर्ण हक बाबत करने मुन्तकिल के प्राप्त कर रहा है और द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि वह सरकारी कागजात में अपने मिले हुए 57 प्रतिशत हिस्से पर नाम दर्ज करा लेवे, इसमें प्रथमपक्ष को न कोई आपत्ति है और न ही भविष्य में होगा।
22. यह कि प्रथमपक्ष अपने अंश के निर्मित 43 प्रतिशत व द्वितीयपक्ष अपने अंश के निर्मित 57 प्रतिशत के पानी एवं बिजली इत्यादि का खर्च कब्जा दखल के पश्चात् अपने-अपने अंश के अनुसार स्वयं वहन करेंगे।
23. यह कि बहुमंजिली इमारत का निर्माण करते समय जो विद्युत खर्च होगा, उसे द्वितीयपक्ष वहन करेंगे।
24. यह कि "विकासकर्ता" द्वितीयपक्ष अपने प्रस्तावित भवन निर्माण फर्म की विलेख से सम्बन्धित प्रस्तावित भवन रखेगा और "विकासकर्ता" द्वितीयपक्ष को बोर्ड आदि लगाने का पूर्ण अधिकार होगा।
25. यह कि यदि उक्त निर्माण हेतु निश्चित अवधि के दौरान प्रथमपक्ष के स्वत्व स्वामित्व या अध्यासन में त्रुटि होने या निर्माण के सम्बन्ध में किसी विभाग या न्यायालय द्वारा रोक लगाया जाता है या निर्माण के दौरान कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना घटित होती है या दैवीय आपदा, भूकम्प या शहर के असाधारण परिस्थिति में होने की वजह से कर्षयू लग जाने इत्यादि के कारण निर्माण कार्य बाधित होता है तो उक्त अवधि द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता को प्राप्त निर्माण कार्य के उक्त समयावधि में सम्मिलित नहीं होगी, अपितु उक्त अवधि निश्चित अवधि के अलावा अतिरिक्त अवधि के रूप में द्वितीयपक्ष को

Signature Tradecom LLP

Signature Tradecom LLP




Partner



Partner



SHRIKANTH INFRA

Partner



प्राप्त होगी, जिससे द्वितीयपक्ष समय अनुसार अपना निर्माण करा सके।

26. यह कि निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता अपनी समस्त निर्माण सामग्री उठाने का अधिकारी है व होगा। उक्त समस्त सामग्री के स्वत्व, स्वामित्व का अध्यासन से कोई सम्बन्ध भूस्वामी/प्रथमपक्ष का नहीं होगा।
27. यह कि प्रथमपक्ष/भूस्वामी व द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता अपने-अपने हिस्से में आने वाले निर्मित क्षेत्रफल के बाबत सभी प्रकार के इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा आरोपित कोई अन्य टैक्स की अदायगी अपने-अपने हिस्से के अनुपात में करेंगे।
28. यह कि उभयपक्ष एकल रूप से अपने-अपने अंश को विक्रय करने के लिये स्वतंत्र हैं व रहेंगे। इसमें किसी भी पक्ष को कोई एतराज न है न भविष्य में होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर पक्षगण संयुक्त रूप से अथवा प्रत्येक पक्ष बतौर भू-स्वामी/डेवलपर/पुष्टिकर्ता एक दूसरे के विक्रय विलेख पर हस्ताक्षर करने को बाध्य होंगे।
29. यह कि किन्हीं कानूनी बाध्यता की वजह से या भूस्वामी के मालिकाना हक में किसी विवाद के कारण यदि प्रस्तावित निर्माण बाधित होता है या पूर्ण नहीं हो पाता है तो द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता द्वारा उस समय तक व्यय किये गये धन मय ब्याज को द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता, को प्रथमपक्ष/भूस्वामी की उक्त सम्पत्ति से मय ब्याज वसूलने का अधिकार होगा।
30. यह कि प्रस्तावित निर्मित क्षेत्रफल में किसी प्रकार की घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी होती है तो प्रथमपक्ष/भूस्वामी तथा द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता का अंश उसी अनुपात में बढ़ेगा या घटेगा।
31. यह कि बहुमंजिली इमारत में अतिरिक्त निर्माण होने पर उसे नियमतीकरण कराने में जो खर्च आयेगा, उसे पक्षगण अपने-अपने हिस्से के मुताबिक वहन करेंगे।


Signature Tradecom LLP



Partner



Signature Tradecom LLP



Partner



SHRIKANTH INFRA





Partner



32. यह कि बहुमंजिली इमारत के निर्माण के बाद अंतिम ऊपरी खुले छत में प्रथमपक्ष 43 प्रतिशत व द्वितीयपक्ष 57 प्रतिशत के हिस्सेदार होंगे। जिसमें पक्षगण कोई निर्माण नहीं करेंगे।
33. यह कि पक्षगण भवन में काबिज होने के पश्चात् जब तक हाउसिंग सोसायटी के तहत अपनी एक सोसायटी का निर्माण कर बहुमंजिली इमारत के रखरखाव कामन पैसेज, चूना कली, दरबान आदि की व्यस्था उपरोक्त सोसायटी नहीं सम्भाल लेती, तब तक पक्षगण संयुक्त रूप से अपने-अपने के बाबत उपरोक्त जिम्मेदारियों निर्वहन करते रहेंगे।
34. यह कि प्रथमपक्ष द्वारा उक्त सम्पत्ति द्वितीयपक्ष को पाक-साफ हालत में दी जा रही है। उक्त सम्पत्ति के बाबत किसी न्यायालय में कोई मुकदमा लम्बित नहीं है। यदि भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रथमपक्ष की होगी।
35. यह कि पक्षगण को एक-दूसरे के हिस्से में मिले अंश से कोई वास्ता सरोकार नहीं होगा और न ही एक दूसरे के हिस्से में आये फ्लैट का विक्रय पत्र अथवा सट्टा इकरारनामा तहरीर करने में अवरोध उत्पन्न करेंगे, इसमें पक्षगण के वारिसान को भी कोई अवरोध उत्पन्न करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
36. यह कि द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि वह अपने-हिस्से में आने वाले फ्लैटों का सट्टा, बैनामा आदि अपने स्वयं के हस्ताक्षर से तहरीर करे, इसमें प्रथमपक्ष को न कोई आपत्ति है और न ही आइन्दा होगी।
37. यह कि जमीन पर होने वाले निर्मित भवन के क्षेत्रफल का 43 प्रतिशत हिस्सा तथा आनुपातिक व अविभाज्य भूमि अंश प्रथमपक्ष का होगा और शेष 57 प्रतिशत हिस्सा तथा आनुपातिक व अविभाज्य भूमि अंश द्वितीयपक्ष का होगा, इसके अतिरिक्त जिस तल का निर्माण होगा, उसमें दोनों पक्ष अपने-अपने अंश के अनुपात में पूर्ण तलों का बंटवारा अपने-अपने अंश के अनुपात में (द्वितीयपक्ष 57 प्रतिशत एवं प्रथमपक्ष 43 प्रतिशत) आपसी सहमति से कर लेवे, किन्तु बंटवारा होते वक्त अपने-अपने अंश

Signature Tradecom LLP Signature Tradecom LLP


Partner



Partner


SHRIKANTH INFRA

Partner


के हिसाब से कुछ वर्गफीट प्रथमपक्ष से ज्यादा निकलेगा तो प्रथमपक्ष उसका पैसा द्वितीयपक्ष को अदा करेगा। यदि द्वितीयपक्ष में कुछ वर्गफीट ज्यादा निकलेगा तो द्वितीयपक्ष प्रथमपक्ष को उस भाग का पैसा अदा करेगा।

38. यह कि द्वितीयपक्ष को यह हक व अधिकार होगा कि वह निर्माण के बाद बची सामग्री व मलवा आदि को अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल करे। इसमें प्रथमपक्ष को किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप का अधिकार होगा और न ही प्रथमपक्ष को इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई कीमत प्राप्त होगी।
39. यह कि प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष के मध्य इस अनुबन्ध पत्र से सम्बन्धित किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर विवाद का निस्तारण सम्मिलित रूप से नामित आर्बिट्रेटर द्वारा किया जायेगा। आर्बिट्रेटर की स्थिति में आर्बिट्रेशन एक्ट रिकसीलिएशन एक्ट, 1996 लागू होगा।
40. यह कि इस अनुबन्ध पत्र के सभी शर्तों की पूरी पाबन्दी उभयपक्षों पर उनके उत्तराधिकारियों व स्थानापन्नों पर लागू व बाध्यकारी होगी।
41. यह कि निम्नवर्णित सम्पत्ति अखरी में प्रारम्भ सीमा से रखौना मोड़ चिन्हित मार्ग पर स्थित है, जिसमें कोई निर्माण स्थित नहीं है। उभयपक्ष भारतीय नागरिक हैं।
42. यह कि रेट लिस्ट के पृष्ठ संख्या 14 भाग-2 प्रारूप-3 क्रम संख्या 2 कालम संख्या 5 के अनुसार विवर्णित सम्पत्ति का रेट 20000/- रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से रकबा 200 वर्गमीटर की मालियत मुबलिग 40,00,000/- रुपये होता है। अतः नियमानुसार सरकारी मालियत पर 7 प्रतिशत की दर से मुबलिग 2,80,000/- रुपया जरिये ई-स्टाम्प सर्टिफिकेट नम्बर IN-UP60077662448472V दिनांक 14.07.2023 विकासकर्ता /द्वितीयपक्ष द्वारा अदा किया जा रहा है।

उभय पक्षों ने यह अनुबन्ध पत्र अपने स्वस्थ और शारीरिक व मानसिक अवस्था में बिना किसी प्रलोभन या जोर दबाव नाजायज के तहरीर करके उसको अच्छी तरह से पढ़ व पढ़वाकर सुन व समझ

Signature Tradecom LLP


Partner


Signature Tradecom LLP


Partner


SHRIKANTH INFRA


Partner


लिया है एवं उसके प्रभावों को अपने ऊपर अच्छी तरह से महसूस कर लिया है और समक्ष गवाहान उभय पक्ष यह इकरारनामा तहरीर करके उस पर अपना-अपना हस्ताक्षर बना दिया कि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

अनुसूची

विवरण सम्पत्ति जो भू-स्वामी/प्रथम पक्ष द्वारा विकासकर्ता /द्वितीय पक्ष को विकास एवं निर्माण हेतु दी गई है और जिसके बाबत यह अनुबन्ध पत्र तहरीर किया जा रहा है:-

आराजी नं० 132 मि. रकबा 0.03375 हे० व आराजी नम्बर 133 मि. रकबा 0.13875 हे० व आराजी नम्बर 134 मि. रकबा 0.0165 हे० व आराजी नम्बर 157 मि. रकबा 0.310 हे० व आराजी नम्बर 138 रकबा 0.004 हे० कुल पांच गाटा कुल रकबा 0.5030 हेक्टेयर में से रकबा 200 वर्गमीटर स्थित मौजा धनपालपुर, परगना कसवार सरकारी, तहसील राजातालाब, जिला वाराणसी, जिसे साथ संलग्न नक्शा में लाल तिरछी लकीरों से प्रदर्शित है, जिसकी चतुर्दिक सीमाएं निम्नलिखित हैं-

पूरब:- जुजभाग आराजियात (डेवलपरशुदा सम्पत्ति) द्वितीयपक्ष
पश्चिम:- जमीन लल्लन सिंह व दीगर शख्स व जमीन द्वितीयपक्ष
उत्तर:- जुजभाग आराजियात (डेवलपरशुदा सम्पत्ति)
दक्षिण:- जमीन बहादुर व बाबा रामजतन वगैरह

तहरीर तारीख:- 15.07.2023

गवाहान- Mahesh Kumar

1. नाम-
पिता का नाम-
पूरा पता-

श्री महेश कुमार
श्री विश्वनाथ कुमार
9/12, लाल बाजार,
स्ट्रीट पहली मंजिल,
कोलकाता-700001
7800478793



Signature Tradecom LLP Signature Tradecom LLP

Partner

Partner

SHRIKANTH INFRA

Partner



2. नाम- *M.V. Singh* मुकेश कुमार सिंह
पिता का नाम- स्व0 ब्रज किशोर सिंह
पूरा पता- हितकहियाँ, झिकलाही
उर्फ माधो, छपरा मीनापुर,
मुजफ्फरपुर, बिहार
मो0नं0- 9621650020





मसविदाकर्ता- *Om Prakash Dwivedi*
ओम प्रकाश द्विवेदी, एडवोकेट,
कलेक्ट्रेट कोर्ट, वाराणसी

टाइपकर्ता- *Raj*
विकास कम्प्यूटर्स,
कलेक्ट्रेट, वाराणसी

Signature Tradecom LLP Signature Tradecom LLP

Partner
Partner


Partner
Partner


SHRIKANTH INFRA
Partner
Partner


1. रास्ते की स्थिति - पक्की सड़क
2. निर्माण की स्थिति- अनिर्मित
3. निर्माण की प्रकृति (व्यवसायिक / आवासीय) आवासीय
4. दिशा सूचक-
5. वृक्षों/कुआं/बाउण्ट्री वाल/गेट आदि की स्थिति-

सम्पत्ति का पोस्टकार्ड साईज का रंगीन फोटोग्राफ



सिग्नेचर ट्रेडकाम एल0एल0पी0, (जो सिग्नेचर ट्रेडकाम प्रा0 लि0 से परिवर्तित है) रजिस्टर्ड कार्यालय डी-59/235 एन, निराला नगर, शिवपुरवा, वाराणसी बजरिये नामित पार्टनर (1) गौतम चड्ढा पुत्र राघवेन्द्र चड्ढा निवासी मकान नम्बर डी-58/12-37, गौंधी नगर, सिगरा, जिला वाराणसी, (2) राकेश कुमार वर्मा पुत्र स्व0 भैरव नाथ वर्मा उर्फ भैरव प्रसाद निवासी मकान नम्बर डी-59/71ए, अन्नपूर्णा, महमूरगंज, रथयात्रा रोड, वाराणसी,

.....प्रथमपक्षगण/भू-स्वामी।

व

मेसर्स श्रीकंठ इन्फ्रा स्थित शिवकरन अपार्टमेन्ट, वैष्णो नगर, कंचनपुर, चितईपुर, जिला वाराणसी बजरिये पार्टनर अजय कुमार पुत्र स्व0 लाल किशोर सिंह निवासी 161 मनी नगर, एक्सटेन्सन, चितईपुर, जिला वाराणसी,

.....द्वितीय पक्ष/डेवलपर

जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मालियत- मुबलिग 40,00,000/- रूपया

4- सम्पत्ति का विवरण- आराजी नं0 132 मि. रकबा 0.03375 हे0 व आराजी नम्बर 133 मि. रकबा 0.13875 हे0 व आराजी नम्बर 134 मि. रकबा 0.0165 हे0 व आराजी नम्बर 157 मि. रकबा 0.310 हे0 व आराजी नम्बर 138 रकबा 0.004 हे0 कुल पांच गाटा कुल रकबा 0.5030 हेक्टेयर में से रकबा 200 वर्गमीटर स्थित मौजा धनपालपुर, परगना कसवार सरकारी, तहसील राजातालाब, जिला वाराणसी

● सम्पत्ति की चौहद्दी-

पूर्व - जुजभाग आराजियात (डेवलपरशुदा सम्पत्ति) द्वितीयपक्ष

पश्चिम- जमीन लल्लन सिंह व दीगर शख्स व जमीन द्वितीयपक्ष

उत्तर- जुजभाग आराजियात (डेवलपरशुदा सम्पत्ति)

दक्षिण- जमीन बहादुर व बाबा रामजतन वगैरह

दिनांक- 15-07-2023

SHRIKANTH INFRA

Ajay Kumar
Partner

Signature Tradecom LLP

Partner




Signature Tradecom LLP

Partner




नक्शा नजरी

आराजी नं० 132 मि. रकबा 0.03375 हे० व आराजी नम्बर 133 मि. रकबा 0.13875 हे० व आराजी नम्बर 134 मि. रकबा 0.0165 हे० व आराजी नम्बर 157 मि. रकबा 0.310 हे० व आराजी नम्बर 138 रकबा 0.004 हे० कुल पांच गाटा कुल रकबा 0.5030 हेक्टेयर में से रकबा 200 वर्गमीटर स्थित मौजा धनपालपुर, परगना कसवार सरकारी, तहसील राजातालाब, जिला वाराणसी



जमीन लल्लान सिंह व दीगर शरदस व जमीन द्वितीयपक्ष



जमीन बहादुर व बाबा रामजतन वगैरह

Drawn By: विकास कम्प्यूटर्स, कलेक्टर कोर्ट, वाराणसी

Signature Tradecom LLP

Partner



Signature Tradecom LLP

Partner




SHRIKANTH INFRA

Partner



आवेदन सं०: 202301035008802

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 7940 के पृष्ठ 185 से 216 तक क्रमांक 6438 पर दिनांक 15/07/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विजय देव .
उप निबंधक : गंगापुर
वाराणसी
15/07/2023

Partner Tabecom LLP

Partner Tabecom LLP

Partner

Partner



उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 20935720230720

| ग्राम क्रमांक : 209357 | ग्राम का नाम / परगना : धनपालपुर (कसवार सरकारी) | तहसील : राजा तालाव | जनपद : वाराणसी | फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026) | भाग : 1 | | |
|------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---------|
| खता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भूमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आशा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आशा देने वाले अधिकारी का पद | टिप्पणी |
| 1 | -----2----- | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 |
| 00039 | निरजाशकर / विश्वाथ / नि. ग्राम कृ पाशकर / लल्लू / नि. ग्राम जिवबोध / त्रिवेणी / नि. ग्राम मनबोध / त्रिवेणी / नि. ग्राम अशोक / त्रिवेणी / नि. ग्राम श्रीमती डिम्पलराय / चन्द्रेश्वरराय / म० न० ए 10 क्यू नगर निगम पिवासमोचन लहुशबीर चन्द्रेश्वरराय / सुरेन्द्र राय / म० न० ए 10 क्यू नगर निगम पिवासमोचन लहुशबीर | 1408 1408 | 134मि 157 मि. | 0.0190 0.4840 | | 1410फ० बहुकुम म्या० त० महोदय वारा० मु०न० 1593 ता० के० 31/7/02 आदेश हुआ कि अराजी न० 134/0/012हे० व 138/0/004हे० व 157/0/636हे० मालगु 60ख से बराबर हिस्सा से विक्र ेता गण निरजाशकर पुत्र स्व० विश्वाथ सिंह व दया शंकर सिंह पुत्र स्व० लल्लू सिंह नि० ग्राम धनपाल पुर प०क० स० का नाम निररस्थ होकरके क ेती सरोज सिंह पत्नी भानुप्रकाश सिंह नि० ग्राम नरोत्तम पुर प०दू० अ० वारा० का नाम बजरिय बेनामा पन्चीकृत बतौर स० भू० शेष खातेदारों के साथ दर्ज ही दि० 4/9/02 1412फ० बहुकुम ना०त० सीलिंग महोदय मु०न० 202/625 ता० फे० 24/8/04 आदेश हुआ कि मौजा धनपाल पुर प०क० स० त० व जि० वारा० के अराजी न० 132रकबा 0.01-1/4 हे० व 133 रकबा 0.05-1/4 व 134 रकबा 0.001/2 व 157 रकबा 0.014-1/2 हे० योग 4 गाटा रकबा 0.021-1/2 हे० सम्पूर्ण बैधानिक | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---|--------|--------|--|---|---|
| | | | 2 | 0.5030 | ₹ 4.10 | <p>अन्या मालगुजारी 60ख से विक्रेता कृपायान्कर सिंह पुत्र स्व0 लालपुर सिंह नि0 स्या0 का नाम निरस्य करके क्रेता चन्देश राय पुत्र स्व0 सुरेन्द्र राय नि0 मकान न0 ए.10अमू नगर निगम कालोनी पिशाच मौजान लहुसा बीर शहर वाराण0 का नाम बतौर स0 भू0 दर्ज हो 20/09/04</p> <p>वाट सं0984ता0कै018.06.2010 ना0तह0आ0ता0 ग्राम धनपालनपुर परगना कसवार सरकारी तह0 सदर वाराणसी के भूखण्ड सं0126मि. क्षेत्र03046.4वर्ग फीट मालगुजारी 60 ख से विक्रेता राजेश कुमार पुत्र स्व0 अवधनरायन नि0नेहिया तह0पिण्डरा जिला वाराणसी का नाम सम्पूर्ण अंश से निरस्य करके क्रेता कृषा मोहन पुत्र रामअधर नि0म0न0 डी058/30 सिमारा वाराणसी का नाम बतौर बेदार सं0भू0अंकित किया जाय दि0 1.07.2010</p> <p>वाट सं0 570ता0कै025.01.2012 ना0तह0सेवापुरी मौजा धनपालपुर परगना कसवार सरकारी तह0व जिला वाराणसी के गाटा सं0132 रकबा 0.0337है0 व 133 रकबा 0.1387है0 व 134 रकबा 0.0165है0 व 157 रकबा 0.310है0व 138 रकबा 0.004है0 योग 5 गाटा रकबा</p> <p>0.503है0 मा060 ख से बिक्रेतागण चन्देश राय पुत्र स्व0सुरेन्द्र राय व डिम्पल राय पत्नी चन्देश राय नि0ए.10 न्यू नगर निगम कालोनी पिशाच मोचन लहुसाबीर शहर वाराणसी निरस्य करके क्रेता महेश कुमार पुत्र विश्वनाथ कुमार जयदेवर सिमेश्वर ट्रेड काम प्रा0लि09/12 ता0त बाजार</p> <p>स्ट्रीट पहली मंजिल कोलकाता अंकित हो।</p> | 9 | 0 |
| कुल गाटे- दो | कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव पाँच शून्य तीन शून्य (हेक्टेयर) | कुल भू-राजस्व - चार दशमलव एक शून्य रूपये | | | | <p>सक्षम अधिकारी: VINOD KUMAR तहसील: राजा तालाब जनपद: वाराणसी दिनांक एवं समय: 26-07-2023 12:05:37 यह उद्दरण खतीनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।</p> | | |



उपरोक्त उद्दरण खतीनी का वरीफिकेशन <http://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।

Data Digitally Signed by: JITENDRA KUMAR PANDEY